



THE PLASTICS EXPORT
PROMOTION COUNCIL

दि प्लास्टिक एक्स्पॉर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या : PLEXHO/Cir/979 24.03.2026

को,

प्लेक्सकॉन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: आरओडीटीईपी दरों की बहाली।

डीजीएफटी ने 23 मार्च 2026 को अधिसूचना संख्या 66/2025-26 जारी कर सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए 23 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक आरओडीटीईपी दरों की बहाली के संबंध में जानकारी दी है।

आरओडीटीईपी के लाभ 22 फरवरी, 2026 को लागू दरों और मूल्य सीमा पर उपलब्ध होंगे, जिससे अधिसूचना संख्या 60/2025-26 दिनांक 23 फरवरी, 2026 के माध्यम से अधिसूचित 50% की पिछली सीमा को वापस ले लिया जाएगा।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे मूल अधिसूचना को यहां देखें:

https://membership.plasticsepc.org/mails_images/202603240300_00.pdf

यह आपकी जानकारी के लिए है।

सम्मान

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल